



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

E-mail - eecdpwd_uki@rediffmail.com

Phone/Fax No. - 01371-237084

पत्रांक 516/3 रुब ० रु०

दिनांक ०९/०५/2026

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वनप्रभाग, कोटबंगला
उत्तराकाशी।

विषय : जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत दिवारीखोल से जोखणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1698/(1)X-3-24/(96)/2017 दिनांक 02.01.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में उक्त मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 08बी०/यू०सी०पी०/06/78/2017/एफ०सी०/75 दिनांक 16.04.2019 में उल्लेखित शर्तों की बिन्दुवार परिपूर्ण अनुपालन आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि चाही गई शर्तों की अनुपालन आख्या प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें। ताकि उक्त मोटर मार्ग में विधिवत् स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

संलग्न— शर्तों की अनुपालन आख्या।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

पत्रांक:- 516/3 रुब ० रु०

तददिनांकित

प्रतिलिपि—अधीक्षण अभियन्ता छठा वृत्त लो.नि.वि., उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्त्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

E-mail - eecdpwd_uki@rediffmail.com

Phone/Fax No. - 01371-237084

पत्रांक 1398 / उ स्त ० १०
सेवा में,

दिनांक 24 / 09 / 2024

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

विषय : जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत दिवारीखोल से जोखणी मोटर के किमी० 1.75 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में। (ऑनलाइन प्रपोजल नं० FP/UK/ROAD/19182/2016)

संदर्भ :- आपका पत्रांक 4485 / 12-1, कोटबंगला दिनांक 20.06.2024।
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि 05 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त भी विधिवत् स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण एन०पी०वी० की संशोधित दरों की अतिरिक्त धनराशि जमा कर चालान सहित सूचना आपको प्रेषित की जा रही है।

क्र०स०	शर्तों / प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन संख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कार्य करने की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3 (क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.50 हे० ग्राम जसपुर एवं माण्डियासारी की सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.50 हे० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 1072859.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है (संलग्न चालन, ऑनलाइन चैक, आई०), जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक 7051/ग्यारह-03(2022-23) दिनांक 30.06.2023 के द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया गया। (संलग्न-कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्र की छायाप्रति)
(ख)	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ०सी०ए०, 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व	इस शर्त के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राजस्व विभाग के द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण किया जा चुका है। (खतौनी की नकल संलग्न है।)

	आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	
(ग)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	पार्श्व शर्त का अनुपालन प्रभगीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा किया जाना है।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक असुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	इस भारत के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रु० 11,49,750.00 एन०पी०वी० की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। (संलग्न चालन, ऑनलाइन चैक, आई०) पुनः वर्तमान दरों पर एन.पी.वी. की संशोधित धनराशि रु० 6,09,368.00 की चालान द्वारा उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या 150896119182331 Union Bank of india FSC Centre, 21/1 III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 में जमा कर दी गई है।
5.	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
(क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2022, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ०सी० (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.50 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 3.50 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य के तहत संशोधित रु० 6,09,368.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के उत्तरांचल कैम्पा Union Bank of india FSC Centre, 21/1 III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 के अन्तर्गत UTTARANCHAL, CAMPA के खाता संख्या - 150896119182331 में रु० 6,09,368.00 के खाते में जमा करा दी गयी है। (जमा चालान की छायाप्रति संलग्न)
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त, अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो तो उसका भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका प्रमाण पत्र दिया गया है जो कि संलग्न कर प्रेषित है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि से पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 37 चीड़ वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास करेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से

	ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) द्वारा चालान तैयार कर रु० 6,09,368.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा Union Bank of india FSC Centre, 21/1 III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 के अन्तर्गत UTTARANCHAL, CAMPA के खाता संख्या - 150896119182331 में रु० 6,09,368.00 के खाते में जमा करा दी गई है। (जमा पर्ची संलग्न)
8.	गाईडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9.	एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन एफ०आर०ए० 2006 का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) संलग्न कर प्रेषित है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण आई०आर०सी० मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1988 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृत यदि लागू ही प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14.	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16.	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा की परियोजना लागत पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward Bearings अंकित हो।	मार्ग के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि उपयोग में न लाये जाने के कारण प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा सीमांकन हेतु धनराशि की मांग नहीं की गयी है।
17.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18.	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

	जाएगा।	
19.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कारवाई होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21.	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र में स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
24.	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https:// parivesh-nic/in/) पर अपलोड होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या आवश्यक प्रपत्रों/अभिलेखों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पर अपनी संस्तुति उपरान्त नोडल कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।



(इं० मनोज दास)
अधिशाली अभियंता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्वालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य वन संरक्षक नोडल कार्यालय भूमि संरक्षण निदेशालय इन्दिरानगर देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता छठा वृत्त लो०नि०वि०, उत्तरकाशी।
3. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त मुनि की रेति, ऋषिकेश।
4. सहायक अभियन्ता, प्रथम निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्वालीसौड़।

आधेशाली अभियंता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्वालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

Date - 26-7-2024

Transaction ID - WO4100423407241006

E-Sign

आवधिक देयक प्रपत्र
 वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग - १
 (देखें अध्याय - आठ, प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

देयक का नाम : उत्तरकाशी
 प्रदाता का नाम : उत्तरकाशी
 कोड से कब तक

कोड	1	0	3
-----	---	---	---

उपकोष/उपकोषांग का कोड	4	1	0	0
-----------------------	---	---	---	---

राज्य की क्रम संख्या	0	0	0	1	9	0
----------------------	---	---	---	---	---	---

संख्या (कोषांग द्वारा भरा जाना है)	0
------------------------------------	---

देश : भारत

पत्र संख्या 13 अंकों का कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक

शीर्षक + 3 लघुशीर्षक + 2 उपशीर्षक + 2 ब्योरेवार	5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	4	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

वितरण अधिकारी का पदनाम

: अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड लोनिविओ उत्तरकाशी

वितरण अधिकारी का कोड

4	2	3	4
---	---	---	---

प्रदान का नाम

: अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड लोनिविओ उत्तरकाशी

संख्या : (022) लोक निर्माण कार्य Connect अनुदान 14- सोर्स कोड : 1

15- सेक्टर कोड : 2

16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिरूपि सलमन करें)

वजत की वर्तमान स्थिति			
क मद्र का नाम व कोड	आवृत्त कुल वजत	इस वित को सम्मिलित करते हुए	अवशेष वजत
क्रय	8435129	2498735	5936394

भुगतान का विवरण	
मानक मद्र का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	6,09,368
66 देयक की सकत धनराशि (अग्रिम समापोजन के बाद)	6,09,368

FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण

77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	6,09,368

किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Executive Engineer
 Construction Division P.W.D.

DA/DAO/DAO II
 Contr. Division कोषांग/उपकोषांगों के प्रयोग हेतु

नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
 (केवल काउन्टरसाइन्ड कटौतियों के प्रकरण में ही लागू
 Construction होगा)
 (पदनाम एवं कार्यालय की मुहर राशि)

₹ 6,09,368 (Rupees Six Lacs Nine Thousand Three Hundred Sixty Eight Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

द्वारा ₹ 0 -

धनराशि ₹ 0,09,368

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
OP4100423407241004 Mr Uttaranchal Campa	Saving	UBIN0996335	150896119182331	609368	0	0	609368
				609368	0	0	609368

Handwritten text at the top left, possibly a reference number or date.

Number 609200

FORM 27 HAND RECEIPT

Proforma No. 233/90 & 103

Cash Book Voucher No. _____ Date _____

(1) Pay by Cheque/Cash to the order of _____

to the order of _____

(2) Paid by me _____

RECEIVED from the _____ in charge of _____


Sub Division _____ Rs. () _____

Name of Work of purpose for which payment is made _____

Verified for Rs. _____ Amount in Voucher _____

S.D.O. _____

Signature of payee




Handwritten text below the S.D.O. line.

Handwritten text below the signature line.

Handwritten text below the signature line.

Executive Engineer
P.W.D. Division, PWD
Walsour, Unak

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-07-2024

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6119182331
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/78/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division PWD, Chinyalisaur Uttarkashi
Amount(in Rs)	609368/-


Amount in Words :Six Lakh Nine Thousand Three Hundred and Sixty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896119182331 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-07-2024

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6119182331
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/78/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division PWD, Chinyalisaur Uttarkashi
Amount(in Rs)	609368/-

Amount in Words :Six Lakh Nine Thousand Three Hundred and Sixty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896119182331 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank



कार्यालय अधिशारी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्त्यालीरौड़ (उत्तरकाशी)

E-mail - eeedpwd_uki@rediffmail.com

Phone/Fax No. = 01371-237084

पत्रांक 336 / 01 स्तंभ 56
सेवा में

दिनांक 06/07/2025

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत दिवारीखोल से जोखणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 है. वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यानर्तन। (PP/UK/ROAD/19182/2016)

संदर्भ :- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1899/12-1, देहरादून, दिनांक 27.01.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण पर भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 08बी०/गू०सी०पी०/06/78/2017/एफ०सी०/75, दिनांक 16.04.2019 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की बिन्दुवार परिपूर्ण अनुपालन आख्या निम्न प्रकार सेवा में प्रेषित है -

क्र०स०	शर्तों/प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन संख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कार्य करने की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3 (क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.50 हे० ग्राम जसपुर एवं माण्डियासारी की सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.50 है० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 1072859.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है (संलग्न चालन, ऑनलाइन बैंक, आई०), जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक 7051/ग्यारह-03 (2022-23) दिनांक 30.06.2023 के द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया गया। (संलग्न-कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्र की छायाप्रति)
(ख)	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ०सी०ए०, 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	इस शर्त के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राजस्व विभाग के द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण किया जा चुका है। (खतौनी की नकल संलग्न है।)



(म)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	पार्श्व शर्त का अनुपालन प्रभगीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा किया जाना है।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परिभोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक असुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेसी द्वारा रु० 11,49,750.00 एन०पी०वी० की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। (संलग्न चालन, ऑनलाइन चेक, आई०) पुनः वर्तमान दरों पर एन.पी.वी. की संशोधित धनराशि रु० 6,09,368.00 की चालान द्वारा उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या 150896119182331 Union Bank of india FSC Centre, 21/1 III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 में जमा कर दी गई है।
5.	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
(क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2022, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ०सी० (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.50 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 3.50 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य के तहत संशोधित रु० 6,09,368.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के उत्तरांचल कैम्पा Union Bank of india FSC Centre, 21/1 III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 के अन्तर्गत UTTARANCHAL, CAMPA के खाता संख्या - 150896119182331 में रु० 6,09,368.00 के खाते में जमा करा दी गयी है। (जमा चालान की छायाप्रति संलग्न)
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त, अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो तो उसका भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका प्रमाण पत्र दिया गया है जो कि संलग्न कर प्रेषित है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि से पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 37 चीड़ वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास करेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) द्वारा चालान तैयार कर रु० 6,09,368.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा Union Bank of india FSC Centre, 21/1 III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 के अन्तर्गत UTTARANCHAL, CAMPA के खाता

		संख्या - 150896119182331 मे रू0 6,09,368.00 के खाते में जमा करा दी गई है। (जमा पर्ची संलग्न)
8.	गाईडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9.	एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन एफ०आर०ए० 2006 का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) संलग्न कर प्रेषित है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण आई०आर०सी० मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1988 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृत यदि लागू ही प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14.	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16.	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा की परियोजना लागत पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward Bearings अंकित हो।	मार्ग के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि उपयोग में न लाये जाने के कारण प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा सीमांकन हेतु धनराशि की मांग नहीं की गयी है।
17.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18.	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कारवाई होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21.	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

	लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र में स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
24.	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https:// parivesh-nic/in/) पर अपलोड होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या आवश्यक प्रपत्रों/अभिलेखों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पर अपनी संस्तुति उपरान्त नोडल कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(इं० सुनी दयाल) 03/15
अधिसासी अभियंता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्वालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून
2. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, कोटबंगला, उत्तरकाशी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, छठा वृत्त, लो.नि.वि., उत्तरकाशी।

अधिसासी अभियंता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्वालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

उत्तरा Non L.A. वाले में क्र. 1428-1433 तक

1- माहिती पत्र-मार्ग (सू) तहसील-दुर्गा जिला-उत्तरा
गुलेस प्रपत्र सं० प-11

1	2	3	4	5	6	7	8
	कर्म भूमि जो सरकारी विभागों के अधिकार में है :-						
14	वन विभाग	1420	308	0377			
		कु.क.	690	1.954	✓		
			711	0.355			
			784	0.923			
	इसके बा प्रपत्र		01	3.609			

अनिल अरवाह
 07/06/23
 जिला-उत्तरा
 तहसील-दुर्गा
 जवनपुर

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 21-05-2020

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6119182289
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/78/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division PWD, Chinyalisaur Uttarkashi
Amount(In Rs)	2222609/-

Amount in Words :Twenty-Two Lakh Twenty-Two Thousand Six Hundred and Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896119182289 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 21-05-2020

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6119182289
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/78/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division PWD, Chinyalisaur Uttarkashi
Amount(In Rs)	2222609/-

Amount in Words :Twenty-Two Lakh Twenty-Two Thousand Six Hundred and Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896119182289 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD191822016289



Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help



Proposals received on or after 15th July 2014

GET LIST

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/19182/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/19182/2016) Dwankhol to Jokhini motor road	ROAD191822016289	6119182289	16 Apr 2019	CA: 1072859/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1149750/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2222609/-	Paid	Fund Demand : 23 Sep 2019 Verified by Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 21 May 2020 Transaction Date : 22 May 2020	Demand Letter (../writereaddata/i-undpdf/8118121612164X21XdemandnoteDiwarikhohjokhnimotorroad.pc) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD191822016289)
2	FP/UK/ROAD/19834/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/19834/2016) Sira Motor road.	ROAD198342016862	6119834862	09 Jan 2018	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 625464/-, Road Site Plantation : 568244/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1193708/-	Paid	Fund Demand : 13 Mar 2019 Verified by Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 13 Mar 2019 Transaction Date : 18 Mar 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/3111112221214CN5Njdemannotesirauttarkashiandtehri1.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD198342016862)



Date - 26-7-2024

Bill ID - WO4100423407241006

आकस्मिक देयक प्रपत्र
 वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -1
 (देखें अध्याय - आठ, प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

E-Sign

आकाश नाम : उत्तरकाशी
 आकाश नाम : उत्तरकाशी
 को अर्पित करने से कब तक

मुख्य लेखाशीर्षक -	(5054)राष्ट्रक तथा सेतुओं पर भूजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शीर्षक -	(04)जिला तथा अन्य सड़कें
तृतीय शीर्षक -	(337)राष्ट्रक निर्माण कार्य
उपशीर्षक -	(03)राज्य सेक्टर
चौथे शीर्षक -	(04)एनओपीएनओ का भुगतान / भूमि अधिग्रहण

1	0	3			
4	1	0	0		
0	0	0	1	9	0
0					

व्यक्तिगत : मतदेय

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	4	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

वितरण अधिकारी का पदनाम : अधिष्ठाता अभियंता निर्माण खण्ड सो0नि0वि0 उत्तरकाशी
 वितरण अधिकारी का कोड : 4 2 3 4

आकाश का नाम : अधिष्ठाता अभियंता निर्माण खण्ड सो0नि0वि0 उत्तरकाशी
 न संख्या : (622)लोक निर्माण कार्य Connect अनुदान 14- सोर्स कोड :1 15- सेक्टर कोड :2 16- रजि.क्र. आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

वजत की वर्तमान स्थिति			
क्र मद् का नाम व कोड	आवंटित कुल वजत	इस वित्त को सम्मिलित करते हुए	अवशेष वजत
क्रम	8435129	2498735	5936394

भुगतान का विवरण	
मानक मद् का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	6,09,368
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	6,09,368

OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण	
77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	6,09,368

किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
 Executive Engineer
 Construction Division PWD

निर्माण/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु
 Construction Division

नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
 (केवल काउन्टरसाइन्ड कटीजैसी के प्रकरण में ही लागू होगा)
 (पदनाम एवं कार्यालय की मुहर सहित)
 Construction Division

₹0 6,09,368 (Rupees Six Lacs Nine Thousand Three Hundred Sixty Eight Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

द्वारा ₹0 -
 राशि ₹0 6,09,368

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
OP4100423407241004 Mr Uttaranchal Campa	Saving	UBIN0996335	150896119182331	609368	0	0	609368
				609368	0	0	609368

Handwritten text at the top left, possibly a name or title.

Passed for Rs. 609200.00

FORM 28 HAND RECEIPT

(Provisional, Budget No. 231, 200 & 201)

Date:

Cash/Post Voucher No.

(1) Pay by Cheque/Cash to:

to the account of

(2) Pay to

RECEIVED from the

for the sum of Rs. (.....


Name of Work of purpose for which payment is made

Amount in Voucher

Amount in Voucher

S.D.O.

Signature of payee



Executive Engineer
P.W.D. Division, PWD
Nalgonda, Utkal

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds
25.07.2024

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6119182331
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/78/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division PWD, Chinyalisaur Uttarkashi
Amount(in Rs)	609368/-

Amount in Words :Six Lakh Nine Thousand Three Hundred and Sixty Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896119182331 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated within after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference to I mail: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, 06903710@unionbankofindia.bank

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds
Date : 25-07-2024

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6119182331
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/78/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division PWD, Chinyalisaur Uttarkashi
Amount(in Rs)	609368/-

Amount in Words :Six Lakh Nine Thousand Three Hundred and Sixty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896119182331 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूली कर नामित बैंक में जमा की जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्ग्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्ग्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



अधिशाली अभियन्ता


निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्ग्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन हेतु एफ०आर०ए० 2006 का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) संलग्न कर प्रेषित है।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्धालीसौड़ (उत्तरकाशी)।




सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्धालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्धालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी का अनुपालन किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्ग्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्ग्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



अधिशाली अभियन्ता


निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्ग्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगे कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र में स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति न होने का अनुपालन किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यायवरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-एफ०सी० दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।



कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के इस अनुसार केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।




अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के इस अनुसार वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।




कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



अधिशर्सी अभियन्ता


निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यायवरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यायवरणीय स्वीकृति प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार कर दिया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।